न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
5/2018	27/03/2018	12/09/2025

1. शौभागमल पुत्र स्व. श्री गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी खातौली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)) हाल निवास 4–जे–2, विज्ञान नगर कोटा
मृतक शोभागमल के कायम मुकाम–
1/1. दिपेन्द्र कुमार पुत्र शौभागमल निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
1/2. जिनेश कुमार पुत्र शौभागमल निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।
1/3. चन्द्र प्रकाश पुत्र शौभागमल निवासी खातौली तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा, तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम
निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी को जरिए आदेश उपनिवेशन क्रमांक /85/988 दिनाँक 1/05/1985, नायब तहसील पीपल्दा से ग्राम भवानीपुरा की खसरा संख्या 30 की 15 बिस्वा बीघा भूमि का नियमन किया गया था। तत्पश्चात् प्रार्थी श्री रतनलाल को उक्त भूमि पर कब्जा सँभला दिया गया। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण नियमन राशि भी अदा की जा चुकी है। जिसका बन्दोबस्त से पुर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2036–2039 मे इन्द्राज हो रहा है। यह कि बन्दोबस्त सम्वत् 2041–2060 के पश्चात् गत खसरा संख्या 30 के नवीन खसरा संख्या 35 रकबा 0. 67 है. पैमूद किये गये। बन्दोबस्त विभाग द्वारा उपरवर्णित नियमन का अमल करते हुए नवीन खसरा संख्या रकबा 0.15 है. किस्म नहरी प्रथम लगानी 3.85 रु. प्रार्थी की गैर खातेदारी मे अंकित कर दी गई। इसके उपरान्त भी अप्रार्थी के राजस्व अभिलेख मे उक्त भूमि सिवायचक अंकित कर दी गई। तदुपरान्त जरिए मिसल संख्या 13/86 दिनाँक 24/01/1986 के अनुसार खसरा संख्या 35/201 रकबा 0.15 है. किस्म नहरी प्रथम लगानी 3.85रु. प्रार्थी की गैर खातेदारी में अंकित करने का नोट दिनाँक 25/09/1990 राजस्व अभिलेख के अंकित कर दिया गया। इसके बावजूद भी कालान्तर मे अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। जबकि प्रार्थी स्वयं को नियमित गत खसरा संख्या 30 रकबा 15 बिस्वा भूमि के बाद बंदोबस्त पैमूद नवीन खसरा संख्या 35/201 रकबा 0.15है. भूमि पर वर्तमान में भी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है एवम् इसी अनुरूप ही ग्राम भवानीपुरा की खसरा संख्या 35/201 रकबा 0.15है. भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे अंकित किया जाना परम आवश्यक है। यह कि अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार प्रार्थी को विधिवत् नियमन की हुई खसरा संख्या 30 रकबा 15 बिस्वा भूमि के बाद बंदोबस्त पैमूद नवीन खसरा संख्या 35/201 रकबा 0.15 है. भूमि सिवायचक दर्ज करें। जबकि प्रार्थी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सम्मानीय न्यायालय की सहायता से ग्राम भवानीपुरा की नवीन खसरा संख्या 35/201 रकबा 0.15 है. भूमि को स्वयं की खातेदारी मे दर्ज करवायें। तदर्थ श्रीमान की सेवा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से विनय है कि प्रार्थी को ग्राम भवानीपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खसरा संख्या 35/201 रकबा 0.15 है. भूमि का राजस्व अभिलेख मे गैर खातेदार दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री कमल कुमार बंसल एड ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त है। शामिल पत्रावली है। कायम मुकाम अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी का प्रा0 पत्र पेश किया। दिनांक 15.04.2024 को संशोधित शीर्षक पेश किया।

जवाब सरकार निम्नानुसार हैः–

1. आंशिक स्वीकार है। मुताबिक प्रतिलिपि जमाबन्दी 2036–39 में दर्ज नोट आदेश /85/1988 दिनांक 01.05.1985 नायब तहसील पीपल्दा ख0नं0 30 रकबा 15 बिस्वा शोभागमल पुत्र गुलाबचन्द महाजन नि0 खातौली के नाम नियमन का आदेश हुआ। शेष वादी स्वयं सिद्ध करें।
2. संलग्न प्रतिलिपि अनुसार आंशिक स्वीकार है। संलग्न प्रतिलिपि वन्दोवरत जमाबन्दी 2041 से 2060 में दर्ज नोट "जर्ये गि0नं0 13/86 दिनांक 24.1.1986 के अनुसार ख0नं0 35/201 रकबा 0.12है0 पर शोभागमल पुत्र गुलाबचन्द कोम महाजन साकिन खातौली गैर खातेदार दर्ज कर किस्म नहरी प्रथम लगान 3.84 किस्त स्यालू 1.54 व उन्हालू 2.30 दर्ज किया" शेष वादी स्वयं सिद्ध करे।
3. अस्वीकार है। कथित आराजी पर वादी का कब्जा बाबत पटवारी हलका/भू0अभि0 निरीक्षक की मौका रिपोर्ट का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. अस्वीकार है।
5. यह बिन्दु कानूनी है।
6. यह बिन्दु कानूनी है।
7. यह बिन्दु कानूनी है।

उक्त जवाब सरकार के बिन्दु संख्या 3 में "कथित आराजी पर वादी का कब्जा बाबत पटवारी हलका/भू0अभि0 निरीक्षक की मौका रिपोर्ट का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।" के पश्चात पुनः जवाब सरकार प्राप्त हेतु पत्रांक 441 दिनांक 06.09.2018 से पुनः जवाब सरकार चाहे जाने पर तहसील का पत्रांक 1202 दिनांक 13.07.2021 से पुनः जवाब सरकार निम्नानुसार प्राप्त हुआ।

1. वादी सोभागमल पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन नि0 खातौली हाल नि0 4–जे–2 विज्ञान नगर कोटा द्वारा ग्राम भवानीपुरा की भूमि ख0नं0 35/201 रकबा 0.15है0 का राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार में दर्ज करने हेतु एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, इटावा को प्रस्तुत किया है।
2. प्रार्थी द्वारा बताये गये ख0नं0 35/201 का मिलान वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम भवानीपुरा से नहीं होता है। ग्राम भवानीपुरा की वर्तमान जमाबंदी में ख0सं0 35 रकबा 0.67है0 किस्म भूमि गे0मु0 आबादी खातेदार ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के खाते दर्ज है।
3. मुताबिक मौका स्थिति ग्राम भवानीपुरा में मूल ख0सं0 35 व उसके बटा नम्बरों की किसी भी भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थी द्वारा बताये गये ख0नं0 35/201 का रकबा 0.15है0 का मिलान जमाबंदी में दर्ज ख0नं0 35/196 रकबा 0.15हे0 से होता है, परन्तु उक्त ख0नं0 ग्राम पंचायत जोरावरपुरा के खाते गै0मु0 आबादी में दर्ज है और मौके पर ग्रामवासियों के मकान बने हुए है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का सांगोपांग अध्ययन करने पर पाया कि प्रासंगिक ख0नं0 35 रकबा 15 बिस्वा का प्रार्थी के पक्ष में किए गए नियमन का नियमन आदेश सलंग्न नहीं है। ना ही नियमन पश्चात कब्जा हस्तान्तरण रिपोर्ट सलंग्न की गई है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

को नियमन बताए गए ख0नं0 पर जवाब सरकार में कब्जा काश्त नहीं होने बाबत स्पष्ट टिप्पणी की गई है एवं पुराने ख0नं0 30 रकबा 3 बीघा के नए ख0नं0 0.67है0 बने है। यदि उक्त ख0नं0 भू-प्रबंध संक्रिया से पूर्व नियमन हुआ है तो भू-प्रबंध पश्चात उक्त नियमन का स्वतंत्र ख0नं0 बनना चाहिए था। प्रार्थी द्वारा चाहे गए ख0नं0 35/201 का सृजन किस खसरे से हुआ है ना तो दस्तावेजों से स्पष्ट है ना ही बहस से।

नियमन आदेश एवं नियमन पश्चात कब्जा हस्तान्तरण रिपोर्ट के अभाव में एवं वर्तमान में कब्जा काश्त होने बाबत प्रार्थी अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा